

# उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)

(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)

वन भवन, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135-2744077

Email: ceocampa-forest-uk@nic.in, website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक- 215/3-3(5)/2020-21

दिनांक, 03 जुलाई, 2020

सेवा में,

प्रमुख वन संवर्धन एवं प्रबंधन प्रभाग,  
वन अनुसंधान संस्थान,  
देहरादून।

विषय :- वार्षिक कार्ययोजना 2020-21 के अंतर्गत अनुश्रवण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 6-96/आरईएस/स0व0सं0(सा)/2015-16-IV-139 दिनांक 18 जून, 2020, पत्रांक 121 दिनांक 22 मई, 2020।

महोदया,

उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यों के तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मांग ₹ 19.34 लाख के सापेक्ष टी0डी0एस0 कटौती ₹ 1.94 लाख के उपरान्त, ₹ 17.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इससे पूर्व परियोजना के अंतर्गत विभिन्न किस्तों में ₹ 15.00 लाख, ₹ 15.00 लाख, ₹ 23.00 लाख तथा ₹ 29.27 लाख की धनराशि सहित कुल ₹ 82.27 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

वर्तमान किस्त ₹ 19.34 लाख को सम्मिलित करते हुए, परियोजना के अंतर्गत तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य हेतु अब तक कुल ₹ 101.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सन्दर्भित पत्र में आपके द्वारा प्रेषित अनुरोध कि "अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की अवधि को दिसम्बर, 2020 तक विस्तारित किया जाय" के क्रम में उक्त अवधि को तदनुसार विस्तारित किया जाता है।

कृपया तदनुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को उक्तानुसार निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

2/7

(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांक:- 215/3-3(5)/2020-21 दिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष-कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

2/7

(डॉ० समीर सिन्हा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक/  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
उत्तराखण्ड कैम्पा